प्रीतपाल सिंह जे., से पहले

ग्राम पंचायत,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 1111

सितंबर 3, 1985

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का 4) - धारा 26 - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 47 - ग्राम पंचायत का संकल्प कि उसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी लाइसेंस प्राप्त दुकान पर नशीली शराब नहीं बेची जाएगी - संकल्प, हालांकि, 30 सितंबर के बाद पारित हुआ। तारीख धारा 26 में निर्दिष्ट, ऐसा संकल्प-क्या अमान्य-धारा 26(1) के प्रावधान-क्या निर्देशिका।

निर्णय, कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 की धारा 26 की उपधारा (1) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं। किसी भी वर्ष अप्रैल के पहले दिन या 30 सितंबर के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव अमान्य नहीं होगा। धारा 26 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निषेध के निर्देशक सिद्धांत को लागू करना है। यह धारा ग्राम पंचायत अधिनियम में पेश की गई है जो ग्राम पंचायत को यह तय करने के लिए अधिकृत करती है कि वह किसी विशेष वर्ष में अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर नशीली शराब की बिक्री चाहती है या नहीं। निःसंदेह, उप-धारा (1) में एक अवधि निश्चित की गई है, अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, जिसके दौरान ग्राम पंचायत को आम तौर पर पंचों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि नशीली शराब नहीं बेची जा सकेगी। इसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई भी लाइसेंस प्राप्त दुकान, लेकिन जाहिर तौर पर इस अवधि का निर्धारण निर्देशिका प्रकृति का है और अनिवार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वांछनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा इस अवधि के भीतर एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि एक ग्राम पंचायत इस अवधि के बाहर कुछ दिनों के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है, वह प्रस्ताव को अमान्य नहीं करेगी। धारा 26 के प्रावधानों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उपधारा (1), जो यह प्रावधान करती है कि ग्रामपंचायत 1 अप्रैल से शुरू होने वाली और किसी भी वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रस्ताव पारित कर सकती है, केवल ग्राम पंचायत के कामकाज से संबंधित है। . इसका आबकारी एवं कराधान आयुक्त से कोई लेना-देना नहीं है। उपधारा (1) में प्रस्ताव पारित करने के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करने का विधान का इरादा स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत के कामकाज को विनियमित करना है और चूंकि यह प्रावधान किसी भी तरह से उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। यह स्पष्ट रूप से एक निर्देशिका प्रावधान है और अनिवार्य नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(i) उन्होंने परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे ग्राम पंचायत चिरया, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी के आसपास कोई शराब की दुकान न खोलें।

(ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, पारित किया जाए।

(iii) रिट याचिका को लागत सहित अनुमति दी जाए।

(iv) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की छूट दी जा सकती है।

(v) नियमों के तहत अपेक्षित उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना जारी करने की छूट दी जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के निपटारे तक, प्रतिवादियों को गांव चिरया, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी में किसी भी शराब की दुकान/दुकान की नीलामी या खोलने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील आई. एस. बलहारा।

एच.के. मुखी, वकील, ए.जी. हरियाणा के लिए।

निर्णय

प्रितपाल सिंह जे.:

(1) ग्राम चिरया, तहसील चरखी-दादरी, जिला भिवानी की ग्राम पंचायत ने अपने सरपंच सूबे सिंह के माध्यम से ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकान पर नशीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए परमादेश की रिट मांगी है।

2. याचिका ग्राम पंचायत ने 19 अक्टूबर, 1984 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव (अनुलग्नक पी-1) पारित कर राज्य सरकार से कहा कि वह अपने स्थानीय क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान न खोले। यह प्रस्ताव आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा को भेजा गया था। उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त ने 28 जनवरी 1985 को एक ज्ञापन (अनुलग्नक पी.2) ग्राम पंचायत को भेजकर सूचित किया कि उनके प्रस्ताव (अनुलग्नक पी.1) को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके बाद यह विज्ञापन दिया गया कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने के लिए नीलामी 19 मार्च 1985 को होगी। इसके बाद पंचायत ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर प्रतिवादियों को शराब की दुकान की नीलामी न करने का निर्देश देने की मांग की।

3. सभी उत्तरदाताओं की ओर से, उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत का संकल्प (अनुलग्नक पी.1) दो आधारों पर अमान्य है। सबसे पहले, चार पंचों, अर्थात् मीर सिंह, नंद लाई, बलबीरा और दरियाओ सिंह ने दादरी के आबकारी निरीक्षक के समक्ष एक लिखित बयान दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दूसरे, यह प्रस्ताव 19 अक्टूबर, 1984 को हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 26 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। इसलिए, यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

4. पक्षों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 26 पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:-

> “26(1): एक ग्राम पंचायत, किसी भी समय, किसी भी वर्ष के अप्रैल के 1 दिन से शुरू होने और सितंबर के 30 वें दिन तक समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, उस समय पद धारण करने वाले पंचों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि वह नशीला शराब पी सकती है। ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी लाइसेंस प्राप्त दुकान पर बिक्री नहीं की जाएगी।
>
> (2) जब उप-धारा (1) के तहत एक प्रस्ताव पारित किया गया है और 31 अक्टूबर को या उससे पहले उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है, तो यह ऐसे संकल्प के बाद अगले वर्ष अप्रैल के 1 दिन से प्रभावी होगा। ।
>
> (3) पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914, या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम और उक्त अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्ति और कार्यों के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियमों में किसी भी बात के बावजूद, ऐसा संकल्प उत्पाद एवं कराधान आयुक्त पर: बाध्यकारी होगा।
>
> बशर्ते कि यदि उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की लिखित रूप में राय हो कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब का अवैध आसवन या तस्करी की गई है या इसमें मिलीभगत है, तो ऐसे संकल्प के पारित होने की तारीख से दो साल के भीतर , ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, ऐसा संकल्प उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि सरकार आदेश न दे कि यह इतना बाध्यकारी होगा।"

विद्वान उत्तरदाताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ग्राम पंचायत ने 30 सितंबर के बाद प्रस्ताव पारित करके अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और, इस प्रकार, प्रस्ताव अमान्य है। इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता. कारण यह है कि, स्पष्टतः, उपधारा (1) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं। किसी भी वर्ष अप्रैल के पहले दिन या 30 सितंबर के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव अमान्य नहीं होगा। धारा 26 का

उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निषेध के निर्देशक सिद्धांत को लागू करना है। यह धारा ग्राम पंचायत अधिनियम में पेश की गई है जो ग्राम पंचायत को यह तय करने के लिए अधिकृत करती है कि वह किसी विशेष वर्ष में अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर नशीली शराब की बिक्री चाहती है या नहीं। निःसंदेह, उपधारा (1) में प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि निश्चित की गई है, जिसके दौरान ग्राम पंचायत को आम तौर पर पंचों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि नशीली शराब नहीं बेची जा सकेगी। अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी लाइसेंस प्राप्त दुकान पर, लेकिन जाहिर तौर पर इस अवधि का निर्धारण निर्देशिका प्रकृति का है और अनिवार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वांछनीय है कि इस अवधि के भीतर एक ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि एक ग्राम पंचायत इस अवधि के बाहर कुछ दिनों के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है, वह प्रस्ताव को अमान्य नहीं करेगी। धारा 26 की योजना यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद यह निर्देश दिया जाता है कि उसके स्थानीय क्षेत्र में नशीला पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है, प्रस्ताव को अक्टूबर के 31 वें दिन या उससे पहले उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कार्यालय में पहुंचना होगा। यदि समाधान इस तिथि को या उससे पहले उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होता है तो यह अगले वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होता है। उप-धारा (3) में कहा गया है कि ऐसा संकल्प उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त पर बाध्यकारी होगा।

धारा 26 से जुड़े परंतुक के तहत, उत्पाद एवं कराधान आयुक्त पंचायत के प्रस्ताव को केवल तभी नजरअंदाज कर सकता है, जब उसकी राय हो कि पंचायत के स्थानीय क्षेत्र में प्रस्ताव पारित होने की तारीख से पहले दो वर्षों के भीतर शराब का अवैध आसवन या तस्करी की गई है।धारा 26 के प्रावधानों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप-धारा (1), जो यह प्रावधान करती है कि ग्राम पंचायत 1 अप्रैल से शुरू होने वाली और किसी भी वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रस्ताव पारित कर सकती है, केवल ग्राम पंचायत के कामकाज से संबंधित है. इसका आबकारी एवं कराधान आयुक्त से कोई लेना-देना नहीं है। उप-धारा (1) में प्रस्ताव पारित करने के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करने में विधानमंडल का इरादा स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत के कामकाज को विनियमित करना है और चूंकि यह प्रावधान उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। किसी भी तरह से यह स्पष्ट रूप से एक निर्देशिका प्रावधान है और अनिवार्य नहीं है। भले ही ग्राम पंचायत उप-धारा (1) के प्रावधान के उल्लंघन में प्रस्ताव पारित करती है, तब तक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त उस पर आपत्ति नहीं कर सकते, जब तक कि प्रस्ताव उनके कार्यालय में 31 अक्टूबर को या उससे पहले प्राप्त न हो जाए, जैसा कि प्रावधानित उपधारा (2) में है। मौजूदा मामले में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रस्ताव निर्धारित तिथि से पहले ही उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में पहुंच गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त यह सुनिश्चित करने के हकदार हैं कि प्रस्ताव उनके कार्यालय में 31 अक्टूबर या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए, जैसा कि उप-धारा (2) में प्रावधान है, क्योंकि उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए कि पंचायत ने वास्तव में

अपने स्थानीय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया ताकि अगले वर्ष 1 अप्रैल से इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा, उसके पास बजट को ठीक से तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए ताकि शराब की दुकानों से होने वाली आय को ठीक से दर्शाया जा सके। हालाँकि, उसके लिए यह बिल्कुल अप्रासंगिक है कि 'क्या ग्राम पंचायत ने उप-धारा (1) में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्ताव पारित किया है। इसलिए अधिनियम की धारा 26 के आलोक में प्रस्ताव (अनुलग्नक पी.1) उत्पाद एवं कराधान आयुक्त पर बाध्यकारी है, भले ही इसे 30 सितंबर के कुछ दिनों बाद पारित किया गया हो।

5. उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की दूसरी आपत्ति कि चार पंचों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए, उनके द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से अस्थिर है। कारण यह है कि वे स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि प्रस्ताव अधिकांश पंचों द्वारा पारित नहीं किया गया था। उन्होंने बस दादरी के एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा किया। जाहिर है, वह इस संबंध में खुद को संतुष्ट करने के अपने कार्य को उत्पाद शुल्क निरीक्षक के जिम्मे नहीं छोड़ सकते थे। लिखित बयान में आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने तर्क दिया है कि चार पंचों मीर सिंह, नंद लाई, बलबीरा और दरियाओ सिंह ने आबकारी निरीक्षक को लिखित रूप में सूचित किया था कि उन्होंने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह लेखन निर्मित नहीं किया गया है. प्रस्ताव (अनुलग्नक पी.1) से पता चलता है कि मीर सिंह और नंद लाई उस बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे जिसमें इसे पारित किया गया था। बलबीरा और दरियाओ सिंह ने बैठक में भाग लिया था और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे. इस संबंध में उनके हलफनामे रिकार्ड में दाखिल कर दिए गए हैं। इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि केवल आबकारी निरीक्षक, दादरी की सूचना पर कि प्रस्ताव पंचों के बहुमत द्वारा पारित नहीं किया गया है, स्वयं को संतुष्ट किए बिना, उत्पाद एवं कराधान आयुक्त प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते थे।

6. ऊपर उल्लिखित कारणों से, संकल्प (अनुलग्नक पी.1) उत्तरदाताओं के लिए बाध्यकारी है और वे वर्ष 1985-86 के लिए याचिकाकर्ता-पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी शराब की दुकान की नीलामी नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के साथ और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्ष 1985-86 के दौरान याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत की स्थानीय सीमा में कोई शराब की दुकान न खोलें। लागत 300 रुपये में निर्धारित की गई है।

***अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।***

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा